कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 294/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 28.07.2026**

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

अपनी 10 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं महिला/बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया।

घटना का विवरण :

दिनांक 28.07.2026 को वादिनी मुकदमा थाना पवई, जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर के अनुसार दिनांक 28.07.2026 की रात्रि में बिजली न होने के कारण उसकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर सो रही थी तथा वह स्वयं घर के अंदर थी। इसी दौरान अभियुक्त अखिलेश बिन्द पुत्र सल्टू बिन्द द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री का मुंह कपड़े से बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। उसके शोर मचाने पर वादिनी बाहर निकली तो अभियुक्त मौके से भाग गया। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर **मु0अ0सं0 187/2026** धारा **65(2) बीएनएस एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :

मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत अभियुक्त अखिलेश बिन्द को पीआरवी कर्मियों द्वारा ग्राम खेमीपुर से पूछताछ हेतु थाना पवई लाया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद थाना प्रभारी पवई विशाल चक्रवर्ती द्वारा दिनांक 28.07.2026 को समय लगभग **13:50 बजे** थाना परिसर से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

अखिलेश बिन्द पुत्र सल्टू बिन्द, निवासी ग्राम खेमीपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 187/2026, धारा 65(2) बीएनएस एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास :

1. मु0अ0सं0 187/2026, धारा 65(2) बीएनएस एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

थाना प्रभारी श्री विशाल चक्रवर्ती मय हमराह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

दुकानदार से गाली-गलौज, धमकी एवं रंगदारी मांगने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

खुद को पत्रकार बताकर दुकानदार को धमकाने और वसूली का दबाव बनाने वाले वांछित अभियुक्त को फूलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस ने दुकानदार से गाली-गलौज, धमकी एवं रंगदारी मांगने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण :

दिनांक 26.07.2026 को वादी प्रमोद मोदनवाल पुत्र राधेश्याम मोदनवाल निवासी चकनूरी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 25.07.2026 को वह अपनी अण्डे की दुकान पर मौजूद था। रात्रि लगभग 10:00 बजे अभियुक्त संतोष पुत्र रामआसरे निवासी ऊदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ दुकान पर आया। अण्डा लेने के बाद जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने स्वयं को पत्रकार बताते हुए गाली-गलौज की तथा धमकी दी कि यदि बिना पैसे अण्डा नहीं दिया गया और प्रत्येक माह रुपये नहीं दिए गए तो दुकान नहीं चलने देगा एवं जान से मार देगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0 237/2026** धारा **308(5)/352 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक 28.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में महिला उपनिरीक्षक रानी साहू मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त **संतोष पुत्र रामआसरे** को **ऊदपुर-दुल्हाघर मार्ग स्थित पेट्रोल पम्प के पास** से समय **23:05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

संतोष पुत्र रामआसरे, निवासी ऊदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **45 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 237/2026, धारा 308(5)/352 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास :

1. मु0अ0सं0 125/2023, धारा 353/504/506 भादवि, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 237/2019, धारा 186/189/384/504/506 भादवि, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 237/2026, धारा 308(5)/352 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 149/2014, धारा 323/504/506/452 भादवि, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

म0उ0नि0 रानी साहू, का0 आदेश यादव, का0 शुभम सिंह **थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।**

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण :

दिनांक 27.07.2026 को वादिनी मुकदमा थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ तथा वर्तमान निवासी थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना कन्धरापुर पर लिखित तहरीर दी। तहरीर के अनुसार वह बचपन से अपने मामा के घर में रह रही है। दिनांक 26.07.2026 को प्रातः लगभग 4:00 बजे शौच के लिए गन्ने के खेत की ओर गई थी, जहां अभियुक्त लवकुश कुमार पुत्र रामदरश ने उसका मुंह दबाकर उसे अपने घर ले गया। आरोप है कि वहां अभियुक्त की पत्नी मनीषा देवी ने भी सहयोग करते हुए पीड़िता के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने का प्रयास किया तथा बाद में कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कन्धरापुर पर **मु0अ0सं0 188/2026** धारा **65(1), 61(2), 127(2), 351(3) बीएनएस तथा 3/4(II), 16/17 पॉक्सो एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक **28.07.2026** को निरीक्षक अपराध संजय कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्त **लवकुश पुत्र रामदरश** निवासी ग्राम गयासपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **24 वर्ष** को समय **10:18 बजे** ग्राम गयासपुर स्थित **शिव मंदिर के पास** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी :

जामा तलाशी के दौरान **एक अदद सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन** बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

लवकुश पुत्र रामदरश, निवासी ग्राम गयासपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **24 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग : मु0अ0सं0 188/2026 धारा 65(1), 61(2), 127(2), 351(3) बीएनएस एवं 3/4(II), 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास: मु0अ0सं0 188/2026, धारा 65(1), 61(2), 127(2), 351(3) बीएनएस एवं 3/4(II), 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

नि0अ0 श्री संजय कुमार मिश्रा, का0 विजय कुमार, का0 अयूब खान थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग लड़की के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित सहयोगी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित/सहयोगी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण :

दिनांक 26.06.2026 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 16 वर्ष) दिनांक 25.06.2026 को बिना बताए घर से चली गई, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका व्यक्त की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0 237/2026** धारा **137(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा **87, 64(1) बीएनएस तथा 3/4/16 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना के क्रम में अभियुक्त **गुलशन पुत्र बहादुर जयसवार** का नाम प्रकाश में आने पर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक **28.07.2026** को उपनिरीक्षक मो0 शमशाद खान मय हमराह क्षेत्र भ्रमण, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं चेकिंग के दौरान **सठियांव रेलवे क्रॉसिंग** के पास मौजूद थे। सूचना पर मुकदमे से संबंधित वांछित/सहयोगी अभियुक्त **गुलशन पुत्र बहादुर जयसवार** को **सठियांव चौराहे** के पास से समय करीब **09:05 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त के परिजनों को सूचना दी गई। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

गुलशन पुत्र बहादुर जयसवार, निवासी प्यारेपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **22 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग : मु0अ0सं0 237/2026, **धारा** 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4/16 पॉक्सो एक्ट, **थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 मो0 शमशाद खान, हे0का0 संजय यादव, थाना मुबारकपुर।

थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित पति गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनाजपुर पुलिस ने दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण :

दिनांक 02.04.2026 को वादी ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व० शिवचन्द्र सिंह, निवासी ग्राम नचाप, पोस्ट नचाप, थाना मुरार, जनपद बक्सर (बिहार) द्वारा थाना मेहनाजपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री **वर्षा सिंह** का विवाह दिनांक 13.03.2026 को रामप्रताप सिंह पुत्र स्व० अवधेश सिंह निवासी ग्राम मऊपरासिन, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था।

तहरीर के अनुसार विवाह के बाद उनकी पुत्री को अपने पति रामप्रताप सिंह एवं उसकी भाभी प्रतिमा सिंह के अवैध संबंधों की जानकारी हुई, जिसका विरोध करने पर ससुराल पक्ष द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की जाने लगी। दिनांक 31.03.2026 की रात्रि में वादी की पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना वादी को अगले दिन प्रातः प्राप्त हुई। वादी ने अपनी पुत्री की हत्या कर साक्ष्य छिपाने का आरोप पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर लगाया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर **मु0अ0सं0 24/2026** धारा **80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक **28.07.2026** को उपनिरीक्षक परमहंस मौर्य मय हमराह क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में थे। सूचना पर **सिहुका पुलिया** के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रामप्रताप सिंह** को समय लगभग **11:27 बजे** गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

रामप्रताप सिंह पुत्र स्व० अवधेश सिंह, निवासी ग्राम मऊपरासिन, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **28 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 24/2026, धारा **80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम**, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास : मु0अ0सं0 24/2026, धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 परमहंस मौर्य, का0 प्रमोद यादव, रि0का0 अभिषेक पटेल, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।